WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM RUSSIA

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the special box, members of a Parliamentary delegation from Russia, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Mr. Gennady N. Seleznev, Chairman of the State Duma of the Russian Federation.

On behalf of the members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other members of the Delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Russia. Though them we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Russia.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

राजगढ़ में आदिवासी बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जाना

*82. **श्री राघवजी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों को धमकाकर अथवा फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराये जाने की घटनायें प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है, गांव कुन्दवे के एक निवासी जगन्नाथ द्वारा 2.2.2000 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजेश्वर कन्वेन्ट स्कूल में फादर पिछले 15 दिनों से नजरबाग छात्रावास के बच्चों को पीट रहे हैं और उन्हें चर्च जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

तथापि, राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि बच्चों पर धर्मपरिवर्तन के लिए ब्रेवजह दबाव डाला गया और विगत में जिले में इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

Conversion of Tribal Children in Rajgarh

†*82. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State

(a) whether it is a fact that incidents of conversion by threatening or alluring tribal children in Rajgarh district in Madhya pradesh have come to light recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action is being taken against accused persons or institutions, together with the action proposed to be taken to prevent recurrence of such incidents in future?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) As reported by the Govt. of Madhya Pradesh, a report was lodged on 2.2.2000 by one Jagannath, resident of village Kundway alleging the Father of Rajeshwar Convent school has been beating the children of Najarbagh Hostel for the past 15 days and compelling them to attend the Church. Case is under investigation.

However, the State Govt. has also informed that it is not correct that any coercion was used for conversion of children and no such incident has come to light in the district in the past.

श्री राघवजी: सभापति जी, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आदिवासी बालकों का एक छात्रावास ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित होता है। उसमें 29 बालकों ने यह शिकायत दर्ज की है कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए मज़बूर किया गया और न मानने पर उनको जबर्दस्ती पीटा गया। 17 लोगों की मेडिकल जांच में उनके शरीर पर निशान पाए गए। यह घटना कोई पहली बार घटी हो ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल जिला है और ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी और हरिजन इलाकों को अपना निशाना बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर ऐसा हो रहा है और यही कारण है कि जनसंख्या में भी परिवर्तन हो रहा है। भिंड जिले में 182.45 प्रतिशत 10 साल में ईसाई जनसंख्या में वृद्धि हुई है, मुरैना जिले में 148.84 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रश्न के दूसरे भाग में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह पहले भाग से मेल नहीं खाता। इसलिए मेल नहीं खाता कि पहले भाग में तो यह कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के बारे में शिकायत की जांच हो रही है, और दसूरे भाग में यह कहा गया है कि ऐसा कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया, तो इन दोनों ही बातों में बहुत अंतर है। यह मेरे पास 'राष्ट्रीय सहारा' अखबार की एक कटिंग है, जिसमें विस्तारपूर्वक वहां के संवाददाता ने उस क्षेत्र का निरीक्षण करके यह लिखा

†Original notice of the question was received in Hindi.

हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए मारा गया। उसने यह भी लिखा है कि घोषणा तो यह की गई थी कि छात्रावास नि:शुल्क रहेगा, लेकिन यह नि:शुल्क तब होगा जबकि कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा, नहीं तो 500 रुपया उससे वसूल किया जाएगा। यह स्थिति है। इसलिए इस प्रश्न का 'क' भाग यह है कि, क्या इन दोनों में जो बहुत अंतर है, प्रश्न में भी विरोधाभास है और समाचार-पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वे भी कुछ अन्य हैं, क्योंकि मामला गंभीर है और आदिवासी आक्रोश में हैं, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी एक टीम भेजकर इस बात की जांच करवायेंगे कि तथ्य क्या हैं? और मेरे प्रश्न का 'ख' भाग यह है कि नियोगी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि हरिजन और आदिवासी छात्रों की शिक्षा ईसाई मिशनरियों द्वारा न दी जाए। क्या माननीय गृह मंत्री जी केन्द्र से ऐसा कानून बनवायेंगे जिससे इस प्रकार का धर्म परिवर्तन न हो पाए, देश की फिजा खराब न हो, और ईसाई मिशनरी जो विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं उनको यह अनुमति प्रदान न की जाए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, इस प्रकार का प्रश्न जब भी कभी संसद् में स्वीकार होता है तो केन्द्रीय सरकार उस विषय में प्रदेश सरकार से जानकारी करती है और प्रदेश सरकार ने जो जानकारी केन्द्र को दी है वही जानकारी प्रश्न के उत्तर में सदन के सामने रखी गई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि एक राजेश्वर कॉन्वेंट नाम के स्कूल के बारे में इस प्रकार का आरोप लगाया गया है और उस आरोप की जांच हो रही है, लेकिन साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह धारणा सही नहीं है कि जबर्दस्ती कंवर्शन किया जा रहा है। इन दोनों तथ्यों को मैंने सदन के सामने रखा है। कोई इसमें कंट्राडिशन नहीं है। प्रदेश सरकार ने जो जानकारी दी है वह यथावत् मैंने सदन के सामने रखी है। उन्होंने कई सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार को इनीशिएटिव ले करके कोई बात करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं होती।

श्री राघवजी: सभापति जी, मध्य प्रदेश का यह मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए 1954 में इस मामले की जांच करवाने की लिए बलात् धर्म परिवर्तन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के मामले में एक नियोगी कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इस नियोगी कमीशन ने बड़े विस्तारपूर्वक जांच की है और बड़े चौंकाने वाले तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं।

सभापति जी, एक तथ्य यह है कि आज से 45 साल पहले, 1950—54 के बीच में 29 करोड़ 27 लाख रुपए की विदेशी सहायता इन ईसाई मिशनरियों को प्राप्त हुई और सेवा की आड़ में उन्होंने धर्म-परितर्वन का कार्य किया। इसीलिए कई सिफारिशें उन्होंने की थी। सभापति जी, यह केवल मध्य प्रदेश का ही सवाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में हालत यह है कि वर्ष 1971 में तीन हजार ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप अपना पूरक प्रश्न मध्य प्रदेश तक ही सीमित रखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघवजी: मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। ...(**व्यवधान**).... आप को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। मुझे प्रश्न पूछने दें। सभापति जी, यह कमीशन भा०ज०पा० सरकार ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने बनाया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि....

श्री सभापति: आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राघवजी: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो तथ्य सामने आया है कि विदेशी फंडिंग से यह कार्य हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, he is making an allegation ....*(Interruptions)*... That is not the truth. ...*(Interruptions)*...

श्री राघवजी: क्या मंत्री जी इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए विदेशों से ईसाई मिशनरियों को जो धन प्राप्त होता है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इस प्रकार का कोई कानून बनाएंगे जिससे कि इस तरह से प्राप्त धन का उपयोग धर्म-परिवर्तन के लिए न हो और इस समस्या से निपटा जा सके?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, यह प्रश्न एक घटना के संदर्भ में है। इस प्रकार को कोई जनरल चर्चा इस विषय पर कभी होगी तो सरकार को जो कहना होगा, कहेगी। इस सवाल से यह पूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति जी, यह एक गंभीर मसला है, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। सारा देश इस से प्रभावित हो रहा है।

श्री राजूभाई ए. परमार: आप को भी फॉरेन से फंडिंग आ रही है, आर०एस०एस० को भी फॉरेन से फंड मिल रहा है, उस के बारे में भी चर्चा करो।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, may I ask the Home Minister about the policies implicit in his reply? There should never be any conversion under threat, by force or by inducement. It is, certainly, something which the Government should ensure that no such conversion takes place. If it has happened, it is wrong. As the Minister is saying, it has not happened as yet. May be, other things have happened, but not conversion. But the point is that you should not allow conversion by way of threat or inducement. I also believe that conversion does not change the material condition of the people. A poor man remains a poor man even when the becomes a Muslim or a Christian or a Hindu or anything else. So, the problem should be addressed in terms of the socio-economic issues, the environment in which a person lives, and his

condition should be uplifted. Conversion is no solution to his economic or social or any other problems.

I also put this question whether we should also not allow anybody—it can be any citizen of India—to practice his religion and also, within some bounds, to preach his religion. The Hindus, Muslims and Christians are competing with one another in order to make conversions—I am not in that game; we are not in that game—but certainly, the people should also have the right to preach along with the right to practice any religion in any part of the country.

SHRI L.K. ADVANI: As I have said in reply to the question posed by Shri Raghavji, I would not give a different reply to this question than that "this does not arise as a supplementary from this question". I would be willing to discuss it. In fact, I would agree with all that you have said because this is the constitutional guarantee. The Niyogi Commission was set up only in Madhya Pradesh, and a law was enacted in Madhya Pradesh in that regard. There is another, similar, law in Orissa also. There is no such law for the whole country, though some of the things which are stated in those laws are implicit even in the general criminal law of the country. But, at this point of time, I would say that this particular supplementary does not arise from this question. If there is a debate on this particular issue, I would certainly see.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि अभी उस की जांच-पड़ताल चल रही है और सरकार की इनवेस्टीगेशन पूरी नहीं हुई है? ऐसी स्थिति में जो आप उत्तर दे रहे हैं तो उस की संगति क्या है और वहां इनवेस्टीगेशन कब तक पूरी हो जाएगी क्या इस बारे में आप को कोई सूचना मिली है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, क्योंकि यह सवाल यहां उठाया गया, इसलिए मैंने जवाब दिया है। मैं इस को फॉलो-अप करूंगा। साधारणत: इस प्रकार के सवालों के उत्तर में केन्द्रीय सरकार, जितनी जानकारी प्रदेश से मिलती है उतनी भर देती है। मैं इस को फॉलो-अप करूंगा कि आगे इनवेस्टीगेशन का क्या हुआ।

श्री नरेश यादव: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के शिकार खासकर के दलित वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं, सरकार ने इसके कारणों की जांच कराई है कि ऐसा क्यों होता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि इस प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न

नहीं आता। लेकिन, हां, यह सही है कि अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ापन और कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार से जनता का शोषण करना, लाभ उठाना आदि के कारण यह होता है और मैं समझता हूं कि गरीबी मिटाना और शिक्षा बढ़ाना इसका उपाय होगा।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी धर्मान्तरण बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसके कई किस्से अभी हमारे सामने आए हैं।

श्री सभापति: देखिए, मंत्री जी ने कहा है इसी सवाल के अंतर्गत प्रश्न किए जाएं, बाकी प्रान्तों के बारे में सवाल नहीं हो सकते।

श्रीमती सविता शारदा: इसी के बारे में मैं पूछना चाहती हूं....

श्री सभापति: मध्य प्रदेश के बारे में।

श्रीमती सविता शारदा: कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उस पर क्या रोक लगाई जाएगी या नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: संविधान में जो फ्रीडम आफ रिलीजन है, उसमें freedom to practice and to propagate any religion है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि That does not mean a freedom to convert. यह भी किसी एक निर्णय में उनके द्वारा कहा गया है। इस सारे दायरों के अधीन ही सरकार इन समस्याओं को देखती है।

MISS MABEL REBELLO: Sir, I was one of those who went to Rajgarh to investigate this allegation. Sir, it was not that children were beaten for 15 days. Even the Government has given a reply saying that it is not correct. In fact, it was...*(Interruptions)*...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, क्वेश्चन क्या है?

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, राघवजी ने आधा घंटा भाषण दिया, उसके बाद सवाल पूछा, तो मैं नहीं पूछ सकती हूं क्या? मैं कहना चाहती हूं, सर, कि ये बच्चे स्कूल गए थे, वहां इन बच्चों को इंस्टीगेट करके बी॰जे॰पी॰ के एक्स एम॰एल॰ए॰ उनको थाने ले गए और वहां ले जाकर के जबर्दस्ती एफ.आई.आर. लॉज कराई और उन बच्चों को वहां से लेकर गवर्नमेंट हॉस्टल में गए। उसके बाद जब हम वहां गए तब वे सारे बच्चे वापिस आए हैं। हम उन बच्चों से मिले हैं, उनके मां-बाप से हमने बात की, सब लोगों से बात की। पांच-छ: साल से वे बच्चे हॉस्टल में थे और बिना एक नया पैसा दिए वे बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के मां-बाप ऐडमिट करते हैं कि जिस स्कूल में या हॉस्टल में वे अभी हैं वहां उनको हजारों गुना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है बजाए गवर्नमेंट

हॉस्टल के। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तुलना होनी चाहिए, सर, कि गवर्नमेंट हॉस्टल में क्या मिलता है, किस तरह की उनको ऐजुकेशन मिलती है ...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, आपका सवाल क्या है?

कुमारी मैबल रिबैलो: इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं यही पूछ रही हूं, सर। ...(**व्यवधान**)... ये इंस्टीगेट कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है क्या? ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, इस इंस्टीगेशन के बारे में होम मिनिस्टर का क्या बोलना है? ...(**व्यवधान**)...बी.जे.पी. को इसका लाइसैंस है क्या? ...(**व्यवधान**)... सर, बी.जे.पी. को इसका लाइसैंस है क्या? ...(**व्यवधान**)... बच्चों को बहकाकर, थाने ले जाकर वहां एफ.आई.आर. लॉज कराने का लाइसैंस इनको किसने दिया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सर।...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है क्या? ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, आप सुन ही नहीं रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी .....

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। मिस रिबैलो, आपका सवाल मुख्तसर में क्या है?

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरा सवाल यह है कि बी.जे.पी. को लाइसैंस है क्या कि वह बच्चों को बहकाकर, थाने में ले जाकर वहां एफ.आई.आर. लॉज कराए और उनको यह लाइसैंस किसने दिया है?

MR. CHAIRMAN: This is not a question. (*Interruptions)* This is not a question. We now go to the next Question No. 83.

Industrial Production for Mining

*83. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' Will the Minister of MINES AND MINERALS be pleased to state:

(a) whether the latest estimates on industrial production for mining has registered nil growth during 1998-99;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps initiated for attaining the estimated rate in this year; and

(d) what is the projected growth rate in this regard for the year 1999-2000?